

To be filled by the Candidate - Name of the Examination : _____

Date of Examination :

CENTRE CODE :

Name of Paper : **INDIAN POLITY, SOCIAL JUSTICE AND INTERNATIONAL RELATION**

Paper Code : **0 3**

Time : 03 Hours

Maximum Marks : 200

Total Pages : **64**

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

Evaluation Table												(For Evaluator's Use only)		
PART-1			PART-2			PART-3			PART-4				(-) MARKS	GRAND TOTAL
QN	EV	Scr	QN	EV	Scr	QN	EV	Scr	QN	EV	Scr			
1			16			26			33			PART-1		
2			17			27			34			PART-2		
3			18			28			35			PART-3		
4			19			29			36			PART-4		
5			20			30			37			TOTAL		
6			21			31			38			(-) MARKS		
7			22			32			39			Final Total		
8			23									Marks in Words		
9			24									Remarks of Evaluator		
10			25											
11			Total			Total			Total					
12														
13														
14												Remarks of Scrutiniser		
15														
Total														
Evaluator Sign			Code	Date	Evaluator Sign			Code	Date					
EV-1					EV-4					Signature of the Scrutiniser				
EV-2					EV-5									
EV-3					EV-6									

इस प्रश्न-उत्तर-पुस्तिका के प्राप्तांकों के कुल योग की प्रविष्टि अंतिम मूल्यांकनकर्ता द्वारा की जायेगी ।



PCS (2016) - Mains

विषय : भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

विषय कोड : 03

Subject : INDIAN POLITY, SOCIAL
JUSTICE AND INTERNATIONAL
RELATION

Subject Code : 03

SEAL PAPER



नोट : इस भाग में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित हैं।

Note : There are 15 questions in this part. All questions are compulsory. Each question carries 02 marks.

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल कितना होता है ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
Who appoints the Comptroller and Auditor General of India and what is his tenure ? [Answer Limit : 20 words]

उत्तर / Ans : –

2. 'डोली योजना' क्या है ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
What is 'Doli Scheme' ? [Answer Limit : 20 words]

उत्तर / Ans : –

3. 'तनाव शैथिल्य' से आप क्या समझते हैं ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
What do you understand by "Detente" ? [Answer Limit : 20 words]

उत्तर / Ans : –



7. न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ?
What is Judicial Review ?

उत्तर / Ans : -

[उत्तर सीमा : 20 शब्द]
[Answer Limit : 20 words]

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

8. 'समाधान योजना' क्या है ?
What is 'Samadhan Yojana' ?

उत्तर / Ans : -

[उत्तर सीमा : 20 शब्द]
[Answer Limit : 20 words]

9. 'नोटा' (NOTA) क्या है ?
What is 'NOTA' ?

उत्तर / Ans : -

[उत्तर सीमा : 20 शब्द]
[Answer Limit : 20 words]



13. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ? क्या वह राज्य विधान सभा की बैठकों में भाग ले सकता है ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
Who appoints the Advocate General of a State ? Can he take part in the proceeding of State Legislative Assembly ? [Answer Limit : 20 words]
उत्तर / Ans : -

कथल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

14. भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस साल में की गयी थी और इसकी रचना क्या है ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
In which year the National Development Council of India was established and what is its composition ? [Answer Limit : 20 words]
उत्तर / Ans : -

15. मधेशी कौन हैं ? [उत्तर सीमा : 20 शब्द]
Who are Madheshi ? [Answer Limit : 20 words]
उत्तर / Ans : -



18. लोक लेखा समिति की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 50 शब्द]

Discuss the composition and powers of Public Accounts Committee.

[Answer Limit : 50 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

19. 'ब्रेक्जिट' क्या है ?

What is 'Brexit' ?

[उत्तर सीमा : 50 शब्द]

[Answer Limit : 50 words]

उत्तर / Ans : -



22.

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 50 शब्द]

Explain in brief the National Commission for Protection of Child Rights.

[Answer Limit : 50 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

23.

उत्तराखण्ड राज्य में जिला नियोजन समितियों की रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 50 शब्द]

Discuss the composition and functions of District Planning Committees in Uttarakhand State.

[Answer Limit : 50 words]

उत्तर / Ans : -



नोट : इस भाग में कुल 07 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी किन्हीं 05 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 08 अंक निर्धारित हैं।

Note : There are 07 questions in this part. Candidate should attempt any 05 questions. Each question carries 08 marks.

26. इक्कीसवीं शताब्दी में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। [उत्तर सीमा : 125 शब्द]
Explain the relevance of Non-Aligned Movement (NAM) in the twenty first century.
[Answer Limit : 125 words]

उत्तर / Ans : –

कवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



27.

उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए।

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]

Discuss the position of higher education in Uttarakhand State.

[Answer Limit : 125 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



28.

'न्यायिक सक्रियता' से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]

What do you understand by 'Judicial Activism' ? Explain.

[Answer Limit : 125 words]

उत्तर / Ans : -

कवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



29.

प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए ।
Discuss the role of Prime Minister's Office.

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]
[Answer Limit : 125 words]

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

उत्तर / Ans : -



30.

भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]

Discuss the Constitutional Amendment Procedure in the Indian Constitution.

[Answer Limit : 125 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



31.

उत्तराखण्ड की पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता एवं भूमिका का वर्णन कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]

Describe the participation and role of women in the Panchayat Raj Institution of Uttarakhand.

[Answer Limit : 125 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



32.

सी.टी.बी.टी. पर एक लेख लिखिए ।

Write a note on C.T.B.T.

उत्तर / Ans : -

[उत्तर सीमा : 125 शब्द]

[Answer Limit : 125 words]

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



Part – 4 / भाग – 4

Marks – 80 / अंक – 80

नोट : इस भाग में कुल 07 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी किन्हीं 05 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित हैं।

Note : There are 07 questions in this part. Candidate should attempt any 05 questions. Each question carries 16 marks.

33. क्या आप महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 को भारतीय समाज एवं संस्कृति के विपरीत मानते हैं ? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इस अधिनियम के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनायेंगे ? [उत्तर सीमा : 250 शब्द]

Do you feel that the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is against the Indian culture and society ? How do you react towards this Act as an Administrative Officer ? [Answer Limit : 250 words]

उत्तर / Ans : –

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल भूख्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



34.

73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने के लिये उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिए।

[उत्तर सीमा : 250 शब्द]

Describe the measures taken by 73rd and 74th Constitutional Amendments to strengthen the local government.

[Answer Limit : 250 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



36.

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है ?
How the President of India is elected ?

उत्तर / Ans : -

[उत्तर सीमा : 250 शब्द]

[Answer Limit : 250 words]

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



37.

भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 250 शब्द]

Critically examine the impact of globalisation in India. [Answer Limit : 250 words]

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only

उत्तर / Ans : -



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



38.

स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

[उत्तर सीमा : 250 शब्द]

Health is a significant component of Human Resource Development. Discuss the main objectives of the National Health Policy of 2017. [Answer Limit : 250 words]

उत्तर / Ans : -

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



39.

भारत में लोकसेवकों के नागरिक अधिकारों का वर्णन कीजिए ।

[उत्तर सीमा : 250 शब्द]

Discuss the Political Rights of the Public Employees of India.

[Answer Limit : 250 words]

उत्तर / Ans :-

केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



केवल मूल्य-
निर्धारक के
प्रयोग हेतु
To be used
by the
Evaluator
only



रफ कार्य हेतु / SPACE FOR ROUGH WORK



रफ कार्य हेतु / SPACE FOR ROUGH WORK



रफ कार्य हेतु / SPACE FOR ROUGH WORK



महत्त्वपूर्ण निर्देश

इस प्रश्न-उत्तर-पुस्तिका में कुल 64 पृष्ठ हैं। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त पेज नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि वे अपने उत्तर केवल इसी पुस्तिका में पूर्ण करें। अभ्यर्थीगण ओ.एम.आर. युक्त प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में अपनी समस्त प्रविष्टियाँ भरने से पूर्व दिये गये महत्त्वपूर्ण अनुदेशों का भली-भाँति अवलोकन/अध्ययन कर यथास्थान अपनी प्रविष्टियाँ अंकित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित करने हेतु प्रश्नोत्तर-पुस्तिका (QAB) परीक्षा प्रारम्भ होने से 10 मिनट पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

This Question – Answer Booklet (QAB) consists of 64 pages. No candidate shall be given extra pages. Therefore it is essential that they finish their answers in this booklet only. Candidates should go through the instructions carefully before making their entries at proper places in the question-answer booklet with O.M.R. sheet. The candidate shall be wholly responsible for a mistake of any kind. For making entries, candidates shall be given QAB ten minutes before the start of the examination.

1. प्रश्नोत्तर-पुस्तिका चार भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या व उनके अंक, उस प्रश्न/प्रश्नों के सम्मुख अंकित किये गये हैं।
2. अभ्यर्थियों को प्रत्येक ओ.एम.आर. प्रश्न-उत्तर पुस्तिका के केवल "TO BE FILLED IN BY CANDIDATE" शीर्षक युक्त भाग में प्रविष्टि करनी है। अवांछनीय / अन्यत्र प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. युक्त प्रश्न-उत्तर पुस्तिका (QAB) निरस्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, पेपर टाइटल, पेपर कोड, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा केन्द्र कोड तथा परीक्षा तिथि की प्रविष्टियाँ यथास्थान ओ.एम.आर. प्रश्नोत्तर-पुस्तिका में अंकित करें।
3. अभ्यर्थी उत्तर-पुस्तिका में परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद ही उत्तर लिख सकेंगे तथा परीक्षा का समय समाप्त होने के पश्चात् लिखने का प्रयास नहीं करेंगे।
4. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु निर्धारित स्थान में ही अपने उत्तर लिखें, इसके अलावा अलग से कोई पेज नहीं दिये जायेंगे और न ही अन्यत्र उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न-उत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अंदर कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक अथवा अन्य कोई पहचान चिह्न यथा – प्रश्न-उत्तर में नाम, पता या दूरभाष नम्बर, देवताओं के नाम/धार्मिक प्रतीक अथवा अन्य कोई भी प्रश्न-उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि न लिखें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा इसे अनुचित साधन अपनाने का कृत्य माना जायेगा। ओ.एम.आर. पत्रक पर अनुक्रमांक का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा उसके प्राप्तियों में से 05 अंक भी काटे जा सकते हैं।
5. ओ.एम.आर. पत्रक के प्रथम भाग पर अभ्यर्थी द्वारा समस्त प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त उसे उसके पार्श्व में से सलाम स्टीकर से अभ्यर्थी द्वारा ढक दिया जाए। स्टीकर के नीचे लगी परत को हटा देने पर यह स्टीकर ओ.एम.आर. पत्रक पर स्वतः चिपक जायेगा।
6. उत्तर-पुस्तिका पर लिखना प्रारम्भ करने के पूर्व अभ्यर्थी को यह देख लेना चाहिए कि उन्हें लिख पत्रक के अनुसार सही प्रश्नोत्तर-पुस्तिका ही दी गयी है तथा साथ ही उन्हें दी गई प्रश्न-उत्तर-पुस्तिका में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है। विसंगति की दशा में अंतरीक्षक को सूचित कर दूसरी प्रति प्राप्त कर लें।
7. रफ कार्य उत्तर-पुस्तिका के अंत में इस हेतु दिये गये अतिरिक्त पृष्ठों पर किया जा सकता है। कृपया रफ कार्य करने के बाद उक्त पृष्ठ को क्रॉस (X) कर दें और ऊपर 'रफ कार्य' लिख दें।
8. यदि किसी प्रश्न का उत्तर काटना हो तो उसे काट दें और उसके नीचे यह अवश्य लिख दें कि यह उत्तर मैंने स्वयं काटा है और इसका मूल्यांकन न किया जाय।
9. प्रश्न-उत्तर-पुस्तिका से कोई भी पृष्ठ न फाड़ें / न परिवर्तित करें।
10. अंतरीक्षक को सौंपने के पूर्व प्रश्न-उत्तर-पुस्तिका को भली-भाँति जाँच कर लें।
11. अभ्यर्थी उत्तर लिखने में केवल नीली या काली बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेखन हेतु किसी अन्य स्थायी/बॉल पेन (नीले अथवा काले के अलावा) का अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में प्रयोग अनुचित साधनों के प्रयोग की तरह ही माना जायेगा। जहाँ प्रश्न के उत्तर देने हेतु चित्र बनाना आवश्यक हो केवल वही चित्र के अन्तर्गत ही विभिन्न रंगों की स्थायी/बॉल पेन प्रयोग में लायी जा सकती है।
12. प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा (भाषा संबंधी प्रश्न-पत्र को छोड़कर) में निर्मित होंगे। यदि किसी विषय या प्रश्न-पत्र के प्रश्न / प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा।
13. उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में से किसी एक भाषा में ही लिखना होगा, दोनों में नहीं (भाषा विषयक प्रश्नों के उत्तर उनको सम्बद्ध भाषा व लिपि में ही दिए जाएँ, जब तक कि प्रश्न विशेष के लिए अलग से हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए न लिखा गया हो) अन्यथा अभ्यर्थी के प्राप्तियों में नियमानुसार कटौती की जा सकती है।

1. QAB is divided into four parts. The number of questions and their marks are mentioned in each Question/Questions.
2. Candidates have to make entries only in that part of the QAB where the instruction "TO BE FILLED IN BY CANDIDATE" has been given. If a candidate makes entries elsewhere or makes undesirable entries, his/her QAB may be cancelled. Candidates should write their roll number, title of the paper, paper code, examination centre, examination centre code and date of examination at the proper place in QAB.
3. Candidates can write their answers only after the examination starts and must not write after the examination is over.
4. Candidate should write the answer of each question in the space provided for it and not elsewhere or in extra sheet. They should not write their name, address, telephone number, name of God/religious symbol or word, sentence or number unrelated to the answer. If they do so, this shall be treated as using unfair means. Wrong entry of roll number in the OMR sheet may be penalized by a deduction of 05 marks by the Commission.
5. Once entries are made by the candidate on the first part of the OMR sheet and the invigilator signs it, the candidate should cover it with the sticker put beside it. Once the cover of the sticker is removed, it will stick to the O.M.R. sheet by itself.
6. Candidate should check that he/she has been given the correct QAB according to the schedule of the examination, and also that no part of the QAB is mutilated. If it is so, they should get another QAB from the invigilator.
7. Rough work may be done on the extra sheets given at the end of the QAB. The candidate should cross the rough work and write 'Rough work' on it.
8. If the candidate crosses an answer he/she should write below it that he/she has crossed it and it should not be evaluated.
9. Do not tear or change any page in the QAB.
10. Before you hand over the QAB to the invigilator, check it carefully.
11. Candidate can use only the ball point pen with blue or black ink for writing answers. Using any other colour or pen may be considered as using unfair means. Where diagram is a part of the answer, for diagram only a different pen or ink other than blue or black may be used.
12. Question papers (except that of the language paper) shall be prepared both in Hindi and English. If there is a typographical or factual error in a question, the English version of the question shall be treated as acceptable/standard.
13. Answers should be written in either Hindi or English, except in language papers or where instruction for writing in a particular language has been given, mixing languages otherwise shall be penalized by deduction of marks as per the rule.

